भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1615

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण

†1615. श्री अरुण भारती:

क्या जनजातीय कार्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) मुंगेर, शेखपुरा और जमुई जिलों सहित बिहार में वर्तमान में छात्रावासों कि जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) बिहार में ऐसे छात्रावासों के लिए आवंटित और जारी कि गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार राज्य सरकार ने बिहार में और अधिक छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) पहले एक अलग योजना "अजजा (एसटी) लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास" चला रहा था, जिसके तहत छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाती थी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 तक क्रियान्वित थी। इस योजना के तहत बिहार में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए कोई छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया था। हालांकि, 2016-17 के दौरान अन्य योजना, जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए), के तहत बिहार राज्य के लिए छात्रावास के निर्माण की निम्नलिखित गतिविधि को मंजूरी दी गई थी।

क्रम सं.	गतिविधियाँ	स्थान	पीएसी स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1.	सरकारी अजजा (एसटी) आवासीय विद्यालयों में दो अतिरिक्त 100 सीटर छात्रावासों का निर्माण (प्रतिबद्ध देयता 9.42 लाख रुपये)	कटिहार और पूर्णिया जिले में 2	490.58

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत बिहार राज्य के लिए छात्रावास निर्माण की गतिविधि को मंजूरी दी गई थी, जैसा कि नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	गतिविधियाँ	स्थान	पीएसी स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1.	5 सरकारी अजजा (एसटी) आवासीय विद्यालयों में 100 सीट वाले छात्रावासों का निर्माण	भभुआ, रोहतास, जमुई, कटिहार, पूर्णिया	600.00
2.	नवनिर्मित सरकारी अजजा (एसटी) आवासीय विद्यालय में 4 एकक (यूनिट) अतिरिक्त 200 सीटर छात्रावासों का निर्माण @626.59 लाख रू./प्रत्येक	रोहतास और कैमूर	600.00
3.	2 मौजूदा छात्रावासों का उन्नयन	भभुआ और जमुई	193.52
	कुल		**1393.52**

इसके अलावा, बिहार सरकार ने बताया है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए उनके पास अपनी राज्य योजना है और वे मुंगेर में दो, शेखपुरा में दो और जमुई जिलों में तीन छात्रावास संचालित करते हैं, जो उनके अपने राज्य योजना निधि से चलाए जा रहे हैं।

(घ) से (ङ): बिहार राज्य सरकार की ओर से छात्रावास निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं है।

*****